

101
4/6/18

2018/00/68

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प विशनाट

"न्याय आपके द्वार-2018"

248
04-06-18

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी विशनाट व भूअ.नि. मेजाहर

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब तहसीलदार

मेजाहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम विशनाट तहसील शाहपुरा व जिला जयपुर

की जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में खाता संख्या 319 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
+	विशनाट	319	चोखाराम पुत्र बनाराम	चोखाराम पुत्र बनाराम शेख इस्लाम दरसूल

(पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड अदालत)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 4/6/2018

क्रमांक :- कैम्प कोर्ट/2018/249

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार मेजाहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री चोखाराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

Recd.
22
4-6-18

(रवि विजय)
पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड अदालत
शाहपुरा (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)